

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०-11/वृ०उ०-9-02/2026- 5424

/पटना, दिनांक: 16/9/2026

अधिसूचना

राज्य कर्मियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-10543 दिनांक-06.10.025 में निहित प्रावधानों के आलोक में सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक-11.08.2026 को सम्पन्न हुई। उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार अभियंत्रण सेवा के अभियंताओं (असैनिक) को उनकी 30 वर्षों की नियमित एवं संतोषजनक सेवा पूरी करने की तिथि से रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत तृतीय एम०ए०सी०पी० का लाभ वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-3590 दिनांक-24.05.2017 की अनुसूची-II में वर्णित वेतन स्तर की उच्चतर क्रमिक वेतन स्तर-13ए में निम्नानुसार प्रदान किया जाता है :-

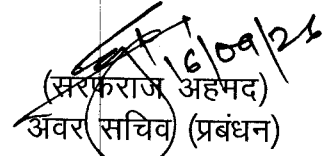
क्र० सं०	नाम/आई० डी०/ जन्म तिथि/ सेवा निवृत्ति की तिथि	सहायक अभियंता के पद पर प्रथम प्रभार/ नियुक्ति की तिथि	अधीक्षण अभियंता के पद पर वेतन स्तर-13 में प्रदत्त प्रोन्नति की तिथि	पुनरीक्षित वेतन स्तर-13ए में स्वीकृत तृतीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुनील कुमार 3266 02.01.1962 31.01.2022	25.06.1987	05.07.2016	दिनांक-25.06.2017	
2	श्री राम प्रवेश सिंह 4028 20.01.1965 31.01.2025	29.05.1991	22.10.2023	दिनांक-01.04.2024	अधि०सं०-7057 दिनांक-23.12.2025 द्वारा पूर्व प्रदत्त तृतीय एम०ए०सी०पी० को संशोधित करते हुए।
3	मो० रज्जन शमीम 4535 03.02.1969 28.02.2029	01.09.1995	22.10.2023	दिनांक-01.09.2025	
4	श्री विनोद कुमार रंजन 4547 02.10.1967 31.10.2027	01.09.1995	22.10.2023	दिनांक-09.07.2026	
5	श्री भूपेश प्रसाद सिंह 3246 26.09.1961 30.09.2021	22.06.1987	05.07.2016	दिनांक-22.09.2017	

- यह वित्तीय उत्क्रमण व्यक्तिगत है तथा इसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं है।
- उपर्युक्त के फलस्वरूप उत्क्रमित वेतन स्तर में वेतन का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०-3590 दिनांक-24.05.2017 के कंडिका-11 के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा।



4. इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप मौलिक नियमावली के नियम 22(1)ए(i) के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा यह विकल्प प्रयोग किया जाना है कि वे वित्तीय उन्नयन की तिथि से वेतन निर्धारण करायेंगे अथवा अगले वेतनवृद्धि की तिथि से। उक्त विकल्प अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अंदर लिखित रूप से संबंधित पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को देना होगा।
5. भविष्य में अर्हता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उक्त प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी।

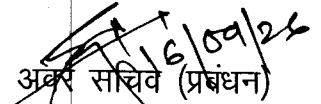
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(सरफराज अहमद)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक:-11/वृ०उ०-9-02/2026- 5424

/पटना, दिनांक:- 16/9/2026

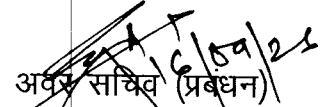
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना-7 को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक:-11/वृ०उ०-9-02/2026- 5424

/पटना, दिनांक:- 16/9/2026

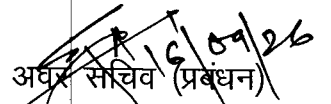
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक:-11/वृ०उ०-9-02/2026- 5424

/पटना, दिनांक:- 16/9/2026

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में)/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास, विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना /लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4-कोटिल्य मार्ग, पटना/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता (वाल्मी सहित) जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार/संबंधित सभी कार्यरत/सेवानिवृत्त, सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता /अधीक्षण अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग, बिहार तथा प्रशाखा पदाधिकारी-6, 8, 10, 15, 22, 23 एवं 24, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक:-11/वृ०उ०-9-02/2026- 5424

/पटना, दिनांक:- 16/7/2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियन्ता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु एवं आई० टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय/Common integrated website पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)